प्रेस नोट थाना कोतवाली गोरखपुर दिनांक 24.11.2022

आपराधिक न्यासभंग के आरोप में अभियुक्त/कर्मचारी गिरफ्तार, लैपटाप बरामद

विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा दिनांक 08.09.2022 को अभियुक्त रामनाथ झा उपरोक्त द्वारा जो आवेदक के फर्म पर कार्य करता था जहां से मोबाईल, लैपटाप, व 50000/- रुपये लेकर चले जाना व मांगने पर रुपये वापस न करना व अपने संपर्क के सारे नंबर को बंद कर लेना दाखिला प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 254/22 धारा 408/507 भादिव पंजीकृत किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग मे धारा 411 भादिव की वृद्धि की गयी। नामजद अभियुक्त रामनाथ झा पुत्र स्व0 युगेश्वर झा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रामनाथ झा पुत्र स्व0 युगेश्वर झा निवासी ग्रा0 धेरुख पो0 बेनीपुर थाना बहेरा जनपद दरभंगा (बिहार) हा0मु0 RZP12 राजनगर एक्शटेशंन द्वारिका सेक्टर8 थाना पालम, दक्षिणी पश्चिमी दिल्ली

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 254/22 धारा 408/411 भादवि थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर।

बरामदगी- 01 अदद लैपटाप

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1. प्र0नि0 रणधीर कुमार मिश्र थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
- 2. 30नि0 अजीत कुमार चतुर्वेदी थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
- 3. का0 मुरारी यादव थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर
- 4. का0 राजू कुमार थाना कोतवाली जनपद गोरखपुर